

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

वाद प्रार्थना पत्र सं.	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील
46 / 21	88, 89, 188, 59 P Act	गजनपुरा	बारां
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
बत्तीबारी कर्तो	बनाम	शमैन्द कर्तो	

वकील :- वृजराज किशोर शर्मा आदेश पत्रक वकील :- श्री नरेश कुमार मिश्रा ए.

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

23/3/24 श्री वृजराज किशोर शर्मा ए. ने वादीपक्ष की ओर से वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट प्रस्तुत देखी गई कोई कमी नहीं है। दुखे शिक्स्टर किया जाकर प्रतिवादीपक्ष को तलब किया जावे। पत्रावली वस्तु तलबी दि. 18/5/24 को पेश हो

18/5/24 ~~मैजिस्ट्रीन अधिकारी~~ दि. 17/24 - 19
 में रहने से पूर्ववत दिनांक को प्रस्तुत की।
 17/24
 उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी बारां

21/7/24 मैजिस्ट्रीन अधिकारी दि. 16/8/24
 में रहने से पूर्ववत दिनांक को प्रस्तुत की।
 16/8/24
 उपखण्ड अधिकारी बारां

16.8.24 पत्रावली पेश हुई। कमीशन जारी उपाय करवायी हुई।
 18/4 की ओर से श्री नरेश कुमार मिश्रा ए. को
 कवायदनामा पेश हुआ। पत्रावली बाकि कवायद दिनांक
 26.10.24 को पेश की।

उपखण्ड अधिकारी बारां

26/10/24 पत्रावली पेश हुई। उम्रपत्र की कमील उपाय करवायी
 प्रतिवादी उम्र 18/4 जलबू है मजदूर जाह्नवी के बाबत
 जलबू दिनांक 10/12/24 से पेश है।

उपखण्ड अधिकारी बारां

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक	
12-4-24	<p>गैरसहीम अधिकारी को प्रस्तुत दिनांक 31-5-24 में रहने से पूर्ववत दिनांक को प्रस्तुत नो.</p> <p>श्रीहर</p> <p>नए खण्ड अधिकारी बारी</p>
31-5-24	<p>पत्रावली आज पेन्ना हुई। वल्लभ फरीलेन उपा जबाब ले लग्न चाहे के पत्रावली वापस जबाब दिनांक 25-7-24 ले पेन्ना है।</p>
25-7-24	<p>गैरसहीम अधिकारी को प्रस्तुत दिनांक 17-4-24 को प्रस्तुत नो.</p> <p>श्रीहर</p> <p>नए खण्ड अधिकारी बारी</p>
17-9-24	<p>गैरसहीम अधिकारी को प्रस्तुत दिनांक 5-11-24 को प्रस्तुत नो.</p> <p>श्रीहर</p> <p>नए खण्ड अधिकारी बारी</p>
5-11-24	<p>पत्रावली आज पेन्ना हुई। वल्लभ फरीलेन उपा जबाब ले लग्न चाहे के पूर्व के परिपत्र आज दिनांक 11-11-24 ले पेन्ना है।</p>
11-11-24	<p>पत्रावली आज पेन्ना हुई। वल्लभ फरीलेन उपा जबाब ले लग्न चाहे के पूर्व के परिपत्र आज दिनांक 20-12-24 ले पेन्ना है।</p>
20-12-24	<p>पत्रावली पेन्ना हुई। वरील वादी एवं वरील प्रतिवादी उपा नही। वरील वादी एवं प्रतिवादी के तीन बार धरमाज नगरवादी गरी। वागजुद प्रचना के मापदण्ड के उपा नही। अतः वादी का वाद अदम राजरी अदम पिनरी के तारीख की जारी के पत्रावली के नए मुद्रा दीनद बाद तारीख तारीख के दाखिल दफ्त है।</p>